

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 81/17

संस्थापन दिनांक : 02.03.2017

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—राहुल पुत्र हाकिमसिंह जाटव उम्र 20 वर्ष
 - 2—लालू उर्फ लालसिंह पुत्र रामप्रकाश जाटव उम्र 20 वर्ष
 - 3—कुलदीप पुत्र रामदास जाटव उम्र 25 वर्ष
 - 4—संदीप पुत्र प्रकाश जाटव उम्र 23 वर्ष
- निवासीगण ग्राम नैनोली कॉलोनी थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.02.17 को 18:00 बजे फरियादी फूलसिंह अ0सा01 के मकान के पास नैनोली कॉलोनी थाना मौ जिला भिण्ड पर सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ फूलसिंह अ0सा01 की कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.02.17 को शाम करीबन 6 बजे फरियादी फूलसिंह अ0सा01 व उसके लड़के कमल जाटव ने मकान के पास जुआ खेल रहे लोगों जुआ खेलने से मना किया तो जुआ खेल रहे आरोपी कुलदीप जाटव, लालू, संदीप, राहुल ने उससे कहा कि हम तो ऐसे ही जुआ खेलेंगे तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसी बात को लेकर आरोपी कुलदीप डण्डा, संजीव कुल्हाड़ी डण्डा व लालू डण्डा व राहुल बल्लम लेकर आये और उसे

मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी संजीव ने उसके कुल्हाड़ी मारी जो उसके सिर में बांयी तरफ लगी जिससे चोट होकर खून निकल आया व शरीर में मूंदी चोटें आईं तथा आरोपी कुलदीप ने उसके लड़के कमल के डण्डा मारा जो कमल के दाहिनी हाथ की भुजा में लगा जिससे मूंदी चोट आई तब उसकी पत्नी रायश्री, बहू रुमाली, लड़का धर्मेन्द्र व उसका छोटा भाई रामनाथ बचाने आये तो चारों आरोपीगण ने उनकी भी लात व जूंसों व डण्डों से मारपीट की। उसकी समधन बैजन्तीबाई व उसका साला प्रीतमसिंह आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। जाते समय आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गये आइन्दा जान से खत्म कर देंगे। तत्पश्चात फरियादी फूलसिंह अ0सा01 ने थाना मौ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर थाना मौ में अप0क0 27/17 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 08.02.17 को 18:00 बजे फरियादी फूलसिंह अ0सा01 के मकान के पास नैनोली कॉलोनी थाना मौ जिला भिण्ड पर सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ फूलसिंह अ0सा01 की कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष //

5. फूलसिंह अ0सा01 ने कथन किया है कि आरोपीगण उन्हीं के परिवार के हैं। सर्दियों के समय शाम को ताश खेलने की बात पर आरोपीगण से झगड़ा हो गया था और एकदूसरे से धक्कामुक्की हो गयी थी। झगड़े में किसी वस्तु का उपयोग नहीं किया गया था। फिर वह रिपोर्ट करने चला गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछ जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 08.02.17 को आरोपीगण ने उसकी कुल्हाड़ी से मारपीट की थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-2 और रिपोर्ट प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. अतः फरियादी फूलसिंह जिसको कुल्हाड़ी से उपहति पहुंचाये जाने का आक्षेप है, ने न्यायालयीन साक्ष्य में स्वयं को कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है। अतः स्वयं आहत द्वारा विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है और स्वयं को किसी भी धारदार वस्तु से चोट पहुंचाये जाने के तथ्य से इंकार किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 08.02.17 को 18:00 बजे फरियादी फूलसिंह अ0सा01 के मकान के पास नैनोली कॉलोनी थाना मौ जिला भिण्ड पर सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ फूलसिंह अ0सा01 की कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)